राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
(अनुभाग-3)

क.एफ-4( ) ग्रा.वि/नरेगा/समीक्षा/09-10 जयपुर, दिनांक 14/9/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

विषय :– नरेगा की मासिक MPR की समीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

नरेगा की प्रगति रिपोर्ट आप द्वारा पाक्षिक रूप से भेजी जा रही हैं। दिनांक 10.09.09 को प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक एवं दिनांक 11.09.09 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस (V.C) उपरान्त समीक्षा निम्न प्रकार हैः–

1- Employment Generation Under NREGA :–

राज्य में वर्तमान 12.40 लाख श्रमिक नियोजित हैं, उसमें से न्यूनतम श्रमिक नियोजन धौलपुर जिले में मात्र 9028 हैं, जबकि अधिकतम जयपुर में 92107 एवं नागौर में 90789 हैं। अलवर, हनुमानगढ, भरतपुर, दौसा, जयपुर, जालौर एवं सीकर में 58,000 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। श्रमिक नियोजन यद्यपि मॉग पर आधारित हैं परन्तु मात्र नौ जिलो में राज्य की 55 प्रतिशत श्रमिक नियोजन यह दर्शाता हैं कि शेष 24 जिलो में मॉग अनुसार श्रम नियोजन की व्यवस्था ठीक नहीं हैं, कार्य चालू करवाने में कमियॉ हो सकती हैं।
जो निम्न हैं :–

(A) अजमेर जिले द्वारा शून्य कार्य एव शून्य श्रमिक नियोजन बताया गया हैं। वहीं राजसंमद जिले द्वारा 16433 कार्य प्रगतिरत बताकर 39570 श्रमिक नियोजन बताया गया हैं, निशिचित ही एक आंकडा गलत हैं।

(b) हनुमानगढ जैसलमेर, पाली, बून्दी एवं सिरोही में अभी तक 50 से भी कम आवास लाभार्थियो को नरेगा योजना में लाभान्वित हुये हैं। बॉरा, चुरू, अलवर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालोर,पाली, एवं टोंक जिलो में अभी तक 50 विकलांग श्रमिको को भी योजना में कार्य नहीं दिया हैं यह भी अविश्वसनीय हैं।

2- <u>Transparency Report :-</u>

बॉरा, धौलपुर, सीकर में जिला स्तर पर किसी भी कार्य का निरीक्षण नहीं किया बताया हैं। बॉरा एवं सीकर में ब्लॉक स्तर पर भी शून्य निरीक्षण बताये हैं। चित्तौडगढ, गंगानगर, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोक, कोटा, पाली, जोधपुर, दौसा, धौलपुर एवं भीलवाडा ने एक भी पंचायत में जनवरी से जून 09 तक की 6 माह के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया हैं।

बाडमेर ने प्राप्त 878 शिकायतो के विरूद्व में 1423 शिकायतो का निस्तारण बताया हैं। अन्य जिलो में 80 प्रतिशत शिकायतो का निस्तारण होना अंकित किया हैं, परन्तु राज्य सरकार ने पाया है कि शिकायतो के निस्तारण में औपचारिकता की जा रही हैं एवं अनियमितता एवं भ्रष्ट्राचार के प्रकरणो में दृष्टार्थ(Examplary) कार्यवाही नहीं हो रही हैं, जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया हैं।

कतिपय जिलो में यह भी देखा गया है कि योजना में कार्यरत नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी सार्वजनिक रूप से चलने फिरने तक में असमर्थ हैं परन्तु ऐसे अधिकारियो के सम्बन्ध में सूचनां राज्य स्तर पर डी.पी.सी/ए.डी.पी.सी द्वारा नहीं दी जाती हैं। बॉरा जिले का आयुक्त, ईजीएस द्वारा दिनाक 10.09.09 को निरीक्षण करने पर वहॉ कार्यरत अधिशाषी अभियंता ईज़ीएस को शारीरिक रूप से कार्यालय में आने में भी अक्षम पाया गया। ऐसे अधिकारी क्षेत्र में प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण नहीं कर सकते। अतः ऐसे अधिकारियो के बारे में भी अवगत करवाया जावे ताकि उनको उनके मूल विभाग में भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

अलवर जिले की खो–दरीबा ग्राम पंचायत में नरेगा में भ्रष्ट्राचार करने पर दर्ज मुकदमे में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु जिला कलेक्टर अपने स्तर पर प्रयास करे।

भरतपुर जिले में झारोली ग्राम पचायत में नरेगा कार्यो में भ्रष्ट्राचार करने वाले कार्मिको के विरूद्व अभी तक एफ.आई.आर दर्ज नहीं करवाने को माननीय मंत्री महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुंए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरूद्व भी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। अतः जिला कलेक्टर भरतपुर सम्बन्धित के विरूद्व विकास अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर दर्ज करवाकर सूचित करवावें।

करौली जिले में ग्राम पंचायत वार एवं सपोटरा पंचायत में अब तक फर्जी पाये जाने पर निरस्त किये गये जॉब कार्डो की संख्या से जिला कलेक्टर सात दिवस मे अवगत करावे।

दिनांक 20.04.09 के निर्देशानुसार वर्ष 2008–09 में नियोजित समस्त श्रमिको एवं खरीदी गयी सामग्री का विवरण भी इन निर्देशो के साथ संलग्न प्रपत्रो में पंचायत मुख्यालय के राजकीय भवनो पर दिनांक 28.09.09 तक सम्पूर्ण रूप से नहीं लिखवाने वाली ग्राम पंचायतो के विरूद्व कठोर कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जाकर सूचित किया जावे

3- Financial Performance :-

माह अगस्त के प्रथम पक्ष के प्रेषित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जिला अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाडा, बूंदी, गंगानगर, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर व बांरा वर्ष 2009–10 में दर्शायी गयी केन्द्रीय अंश की राशि दिनाक 15.08.09 तक जारी राशि से भिन्न है। इसी प्रकार जिला बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली व राजसमंद द्वारा वर्ष 2009–10 में दर्शायी गयी राज्य अंश की राशि भी विभागीय आकड़ों से भिन्न है। अतः प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि दर्शायी गयी केन्द्रीयांश एवं राज्यांश की राशि जारी की गई राशि से भिन्न नहीं है एवं इसी प्रकार गत वर्ष केन्द्रीयांश/राज्यांश की राशि चालू वर्ष में प्राप्त है तो उसे भी सबंधित कॉलम में दर्शाये जाये।

जिलो के निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया है कि ए.डी.पी.सी कार्यालय में कार्यरत पी.ओ अकाउण्टस एक पंचायत समिति में माह में एक बार भी दौरा नहीं कर रहे हैं परिणाम स्वरूप डी.पी.सी द्वारा पंचायत समितियों में अग्रिम दी गई राशि के विरूद्व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कार्य की प्रगति समीक्षा नहीं हो रही हैं एवं ब्लाकस में कार्यरत लेखा सहायको की क्षमतावर्धन, लेखा प्रकियाओ के मार्गदर्शन सम्बन्धि कार्यवाही नहीं हो रही हैं अतः पी.ओ अकाउण्टस को महीने में एक बार अवश्य भेजा जावें। जिलो को प्राप्त भारत सरकार एवं राज्यांश निधी के विरूद्व बताये गये व्यय के सम्बन्ध में जिला बाडमेर, अजमेर व चूरू, नागौर द्वारा अधिक व्यय बताया गया हैं। यदि वास्तव में ऐसा हैं तो इस राशि के उपयोगिता के सम्बन्ध में मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा पत्र कमांक एफ 2(53)ग्रा.वि–3/नरेगा परिषद–के.अ/09–10 दिनांक 8 दिसम्बर 2009 में निर्धारित प्रकिया अनुसार सूचना देकर अतिरिक्त राशि तुरन्त मॉगी जानी चाहिए। यह कार्यवाही जिला जयपुर व नागोर द्वारा तुरन्त किये जाने की आवश्यकता हैं।

नरेगा योजना की वर्ष 08–09 की सी.ए ऑडिट रिपोर्ट मुख्य लेखाधिकारी को दिनांक 25.09.09 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

4- Expenditure on work payment and facilities :-

जिला बासवाडा, भरतपर, चुरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ,, जैसलमेर, झुन्झुनू, सिरोही एवं टोक ने किसी भी वेबसाइट पर छाया प्रति उपलब्ध नहीं होने जबकि जिला बॉरा, भरतपुर चुरू दौसा हनुमानगढ कोटा सीकर ने किसी भी वेबसाइट पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने, जिला अलवर, चुरू, दौसा, जैसलमेर,

जालोर, राजसंमन्द, सीकर, सिरोही, टोक ने किसी भी कार्यस्थल पर पालना उपलब्ध नहीं होने , जिला अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, डुगरपूर, जयपुर, कोटा एवं सवाईमाधोपुर ने किसी भी कार्यस्थल पर दवाईया उपलब्ध नहीं होने का अवगत कराया हैं।

जिला जैसलेमेर एवं जालोर में औसत मजदूरी दर 77 रूपये से भी कम आ रही हैं इससे यह स्पष्ट हैं कि प्रत्येक मस्टररोल का अभी भी भुगतान औसत रूपये से किया जा रहा हैं जबकि एक मस्टररोल के दो प्रकार के भुगतान प्रत्येक पॉच श्रमिको का एक समूह के आधार पर किया जाना चाहिए एवं दो समूह की मजदूरी भुगतान में चाहे एक रूपये का ही अन्तर क्यो न हो वह उसी प्रकार अन्तर करके ही भुगतान किया जाना चाहिए। जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक अभी भी कार्यस्थल पर कार्यरत समस्त मजदूरो का पॉच पॉच के समूह के आधार पर एवरेज मजदूरी का भुगतान करवा रहे हैं उन्हे दो चेतावनी देकर उनकी संविदा सेवा समाप्त की जावे।
जिला धौलपुर हनुमानगढ ने पुरे माह में औसत मजदूरी शून्य बताई हैं।

5- M.I.S Entry की समीक्षा :-

वर्तमान में अलवर, टोक, जालोर, जोधपुर, एवं चित्तौडगढ जिला नरेगा में कय की गई सामग्री की एमआईएस एन्ट्री में राज्य में सबसे पीछे हैं इन पॉचो जिलो की अधिकांश पंचायत समितियो में कय की गई सामग्री में व्यय राशि की तुलना में एक प्रतिशत राशि का इन्द्राज भी एम.आई.एस पर नहीं किया है। इससे स्पष्ट हैं कि इन जिलो के मैनेजर एमआईएस अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं एवं प्रत्येक पंचायत समिति मे एक बार भी दौरा करके वहॉ के डाटा एन्ट्री आपरेटर के काम में वांछित प्रगति लाने में प्रयास नहीं कर रहे है। झालावाड जिले की डग पंचायत समिति में वर्ष 08–09 की ही 1863 मस्टररोल अभी तक एमआईएस में फीड होना बकाया है।

एम.पी.आर के अनुसार श्रम मद में जो राशि व्यय बताई गई है उसकी तुलना में एमआईएस एन्ट्री 35 प्रतिशत से भी कम अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पाली जिले में हैं।

6 अन्य बिन्दु :-

प्रत्येक दस पंचायतो पर एक संविदा लेखासहायक रखे जाने हेतु भी दिये गये निर्देशो की अभी तक पूर्ण पालना नहीं की गई हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा सहायक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम स्नातक/सी.ए, /आई.सी.डब्लयू.ए/ सी.ए इन्टर उत्तीर्ण रखी जावे ।

इसी प्रकार प्रत्येक पॉच पंचायतो पर एक कनिष्ट तकनीकी सहायक (बाडमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ, डुगरपूर, और बॉसवाडा में प्रति तीन पंचायतो पर एक कनिष्ट तकनीकी सहायक) भी संविदा पर अनुबन्धित नहीं किये गये है जिन्हे शीघ्र किया जावे। इनकी योग्यता प्राथमिकता वार सिविल उसके उपरांत कृषि उसके उपरांत इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल मे डिग्री/डिप्लोमा रखी गयी है। प्रयास यह किया जाये कि सिविल डिग्री अथवा सिविल डिप्लोमाधारी ही इस पद हेतु अनुबन्धित किये जावे।

इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति में एमआईएस मैनेजर संविदा के पद भी नहीं भरे गये हैं। परिणामस्वरूप कय की गई सामग्री एवं प्रयुक्त किये गये मस्टररोल की अपटूडेट एन्ट्री एमआईएस में नहीं हो रही हैं।

प्रत्येक ऐसी पंचायत में जिसमें पहले से कम्प्यूटर नहीं हैं उसमें कॅम्प्यूटर आपरेटर मय मशीन भी अभी तक पूर्ण रूप से संविदा अनुबन्धित नहीं किया गया हैं। यह कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण की जावे।

वर्ष 2010–11 की नरेगा का वार्षिक एक्शन प्लान बनाने हेतू विस्तृत निर्देश पृथक से समस्त जिलो को दिये जा चुके है अतः शीघ्र अति शीघ्र इस सम्बन्ध में ग्राम सभाओ का आयोजन कर इस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नरेगा के सम्बन्ध में प्रेस में प्रतिदिन नेगेटिव पब्लिसिटी के समाचार छपते है इन पर राज्य स्तर से कार्यवाही रिपोर्ट मॉगने से पूर्व ही समन्वयक आई.ई.सी जिला परिषद द्वारा समाचार की फोटोप्रति एवं जिले द्वारा की गई कार्यवाही की रिर्पोट आयुक्त ईजीएस को तुरन्त भेजी जावे एवं भ्रष्ट्र आचरण व अनियमितता करने वालो के विरूद्व जिला कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को भी समाचार पत्रो में प्रकाशित करावे जावे।

पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य वेबसाइट पर ही अपलोड की जानी है, ई–मेल अथवा हार्ड कॉपी में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक माह के प्रथम पखवाडे की प्रगति प्रतिवेदन 22 तारीख तक तथा द्वितीय पखवाडे की प्रगति प्रतिवेदन सात तारीख तक आवश्यक रूप से अपलोड कर दी जावे। इसी प्रकार प्रथम पखवाडे के दौरान नियोजित श्रमिको की सूचना 3 तारीख तक तथा द्वितीय पखवाडे के दौरान नियोजित श्रमिको की सूचना 18 तारीख तक आवश्यक रूप से स्टेट वेबसाइट पर अपलोड करे।

जिला कलेक्टर सीकर द्वारा नरेगा की मॉनिटरिग संलग्न प्रपत्र के अनुसार की जा रही है। इससे ग्राम पंचायतवार सभी सूचनाओ की मॉनिटरिग की जा सकती है। इसे सभी जिलो द्वारा उपयोग में लिया जाना उचित रहेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

15/2/07
परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Manish Sharma\bard.doc